**दर्श फाउण्डेशन**
**(DARSH FOUNDATION)**
सिन्धौरा रोड, सत्यबलपुर वाराणसी।
न्यास विलेख **(INSTRUMENT OF TRUST)**
(इण्डियन ट्रस्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

| | | |
|---|---|---|
| मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक | :: | **नाथेश्वर यादव पुत्र नन्दलाल यादव** |
| निवासी | :: | सी–62–202, आश्रय शान्ति नगर चसल्टड, सेक्टर नं0–5 मीरा भयंदर मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र–401107 |
| मो0नं0 | :: | ..... |
| कार्य क्षेत्र | :: | सम्पूर्ण भारतवर्ष |

यह न्यास विलेख आज **दिनांक 10 अक्टूबर, 2025** को वाराणसी में नाथेश्वर यादव पुत्र नन्दलाल यादव सी–62–202, आश्रय शान्ति नगर चसल्टड, सेक्टर नं0–5 मीरा भयंदर मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र 401107 द्वारा किया गया जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक के पास **रू0 11000/– (ग्यारह हजार)** की धनराशि है जिसे वह लोक कल्याण एवं अप्रति संहरणीय न्यास (Irrevocable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के रूप में कार्य करेगा और क्योंकि यह ट्रस्ट दर्श फाउण्डेशन सिन्धौरा रोड, सत्यबलपुर, वाराणसी के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान उपहार ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और आगे बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो मे प्रभावी रूप से सफल हो सकें। और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल **रू0 11000/– (ग्यारह हजार मात्र)** की नगद राशि प्रदान की है।

वर्तमान में इस ट्रस्ट के पास पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय सिन्धौरा रोड, सत्यबलपुर, जिला वाराणसी रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर मैनेजिंग ट्रस्ट कमेटी की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

दर्श फाउण्डेशन
**(DARSH FOUNDATION)**
सिन्धौरा रोड, सत्यबलपुर वाराणसी
(इण्डियन ट्रस्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

**ट्रस्ट के उद्देश्य–** ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सबके लिये प्राथमिक पाठशाला जूनियर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी० जी० कालेज, बी० एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी०, पुस्तकालयो, वाचनालयो, प्रयोगशालाओ, चिकित्सालयों अनाथालयों, वृधाआश्रमो, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, की स्थापना करना, नामकरण, विकास सम्बद्ध–आबद्ध प्रबन्धक संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओ, शासन आदि से मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित स्वीकृ त करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की योजनाओ का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना

5. उधानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधि कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओ की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार की सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, समाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों की कार्यक्रम का संचालन करना।
10. आई०आई०टी०, सी०टी०आई० आई०टी०आई०, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथिरेपी आदि मेडिकल कालेजो एवं इंजीनियरिंग कालेजो की स्थापन एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगो के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ केन्द्र मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओ, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना।
14. विभिन्न विषयो एवं पाठ्यक्रमो यथा व्यहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यक वैधानिक, क्रीडा, मर्शलार्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेसनल, पाली आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्प्रधा परीक्षायों में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलंबी बनाने हेतु उनके अध्यन, अध्यापन आवास आदिं सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तको, साहित्य पत्रों, पाठ्यकर्मों आदि का श्रीजन संपादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मलेन प्रतियोगिताऐ बैठके, विशेष कक्षाए, एड्स प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विषेश, अन्य सोसाईटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों मेडिकल कालेजो, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजो या अन्य संस्थाओ को उस व्यक्ति विषेश या सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा होने पर अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको अपने ट्रस्ट में समायोजित करना।
20. ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओ, व्यक्तियों से सहयोग श्प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
25. पुस्तक, पुस्तिकाएं पत्र, पत्रिकाए, समाचार आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना।
26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओ के लिये समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

27. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयो एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना।
28. मानवता के आधार पर असहाय गरीबो निर्बलों की सहायता के लिये निःशुल्क जाँच नेत्र शिविर निशुल्क दवा वितरण, चश्मा, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
29. संस्था के कार्य क्षेत्र में केन्द्रीय एवं विदेशी तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, कपार्ट, नवार्ड, सुडा, डूडा, सिप्सा, नेहरू रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना डी०आर०डी०ए० वृक्षारोपण, प्रदुषण नियंत्रण, एवं अन्य सभी योजनाओ का क्रियान्वयन करना।
30. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।
31. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयो पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
32. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
33. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना ।
34. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
35. विभिन्न संस्थाओ/विद्यालयों/महाविद्यालयो/विश्वविद्यालयों/मेडिकल कॉलेजों/ इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठान के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
36. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देशो में प्रयोग करना।
37. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबो का निर्माण मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।
38. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा ।
39. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही व्यय करेगा।
40. किसानो की उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
41. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना, फल एवं औषधि खेती के विषय के बारे में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गए मॉल का आयत व निर्यात करना।
42. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला, प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
43. दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यको का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
44. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मलेन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन – प्रशाशन तक पहुंचना।
45. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टलो, क्रीडास्थलों, बागवानी एवं पार्को का निर्माण करना।
46. संबिधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियमे क्रिया कलापों के बारे में में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना।
47. विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा आयोजित विभिन्न स्वास्थ योजनाओ का क्रियान्वय करना।
48. पर्यावरण की रक्षा के लिये वृक्षारोपण तथा वृक्षों का रख रखाव करना ।

49. नशावृत्ति में फसे युवकों/युवतियों के लिये नशा मुक्ति योजना चलाना तथा नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना।
50. दहेज तथा उन्मुलन, बाल विवाह उन्मुलन पर कार्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।
51. विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिये निःशुल्क चिकित्सालय एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।
52. विशपन्ना गृह की स्थापना करना।
53. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बार्ड, कमार्ट, अवार्ड, नावार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, डवाकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन नौराड, आक्सकेम इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ०प्र० एवं विकलांग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकाश कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरी विकास परियोजनाओ, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।
54. बढती हुई प्रदुषण को कम अथवा रोकने हेतु सौर उर्जा व प्राकृतिक उर्जा का उपयोग व प्रचार–प्रसार करना।
55. पशु पक्षी विहार बनवाना तथा उसकी देख रेख करना ।
56. ज्ञान लाभ, हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था ।
57. विकलांगो के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगो के लिये शासन द्वारा चलायी जा रही परियोजना का संचालन करना।
58. वेश्यावृत्ति में फसी महिलाओ एवं बालिकाओं को मुक्ति दिलाना तथा उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करना।
59. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृति, पाली भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार–प्रसार करना।
60. फुटपाथ पर जीवन व्यापन करने वाले भिखारियों को भोजन कपड़ा. व रहने के लिये आवास एवं शिक्षा की की व्यवस्था करना ।
61. लोगो को कम कीमत पर अच्छे भवन निर्माण की जानकारी देना एवं ढुड्को विश्व बैंक द्वरा संचालित आवासीय परियोजना सुलभ शौचालय लय स्वछता कार्यक्रमो का संचालन करना।
62. सजा पाए कैदियों को सुधारने हेतु जेल के अन्दर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना।
63. बढ़ते हुए अपराध को रोकने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
64. सरकार द्वारा चलायी जा रही विकास एवं जनकल्याणकारी योजना में, सहयोग करना।
65. भारत के विभिन्न गांव राज्यों में संस्था के कार्यालय, विद्यालय व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।
66. संस्था द्वारा कन्सल्टेंन्सी व परामर्श केन्द्र की स्थापना कर संचालित करना ।
67. बेरोजगार को रोजगार परक बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना एवं माइक्रो फाइनेंस जैसी योजना चलाना है।
68. गांवो एवं शहरों में स्वयं सहायता समुह बनवाकर लोगों को स्वालम्बी बनाना।
69. ट्रस्ट अपने उद्देश्यो की पूर्ति हेतु ऋण लेने एवं ऋण देने का कार्य कर सकती है।
70. भारत के लोकतंत्र की रक्षा हेतु विभिन्न कार्य करते हुए जनता के मत अधिकार को बताना एवं चुनाव में सक्रीय भूमिका निभाकर अच्छे जन प्रतिनिधियों का चुनाव करवाना।
71. भ्रष्टाचार में संचालित को भी व्यक्ति या अधिकारियो एवं कर्मचारियों का विरोध कर लोगो को न्याय दिलाना।
72. लोगों के साथ किसी भी प्रकार के हो रहे उत्पीड़न का विरोध करना एवं उससे मुक्त करना।
73. ट्रस्ट द्वारा लोगों को उनके हक एवं अधिकार को बताना।
74. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना।

**75.** पुस्तक, पुस्तिकाये, पत्र–पत्रिकाये एवं समाचार पत्रों को प्रकाशित करना, सम्पादित, वितरित करना एवं विक्रय करना।

**76.** बौद्धविहार एवं क्रीडास्थलों, बागवानी व पार्को की स्थापना करना।

**77.** असहाय व विकलांग, निराश्रित पशुओ का इलाज, भोजन व उनकी रहने की व्यवस्था करना

**78.** ट्रस्ट को उद्देश्यो की पूर्ति के लिए 12ए, 80जी, एफ०सी०आर०ए० का पंजीकरण कराना एवं अनुदान लेना।

दर्श फाउण्डेशन

**(DARSH FOUNDATION)**

सिन्धौरा रोड, सत्यबलपुर वाराणसी

(इण्डियन ट्रस्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

| क्र०स० | नाम | पता | पद | पेशा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | धनन्जय सिंह पुत्र स्व० श्रवण सिंह | मु० चांदपुर जमानियां कस्बा गाजीपुर | अध्यक्ष | समाजसेवी |
| 2. | नाथेश्वर यादव पुत्र नन्दलाल यादव | सी–62–202, आश्रय शान्ति नगर चसल्टड सेक्टर नं5 मीरा भयंदर, मीरा रोड, ठाणे महाराष्ट्र | प्रबन्धक | समाजसेवी |
| 3. | संजीव कुमार पाण्डेय पुत्र गोपाल पाण्डेय | सोनार टोली जमानियां कस्बा | महासचिव | समाजसेवी |
| 4. | अनिल कुमार मौर्या पुत्र सूर्यबली सिंह कुशवाहा | ग्राम नरायनपुर पोस्ट जंगीपुर गाजीपुर | कोषाध्यक्ष | समाजसेवी |
| 5. | गुड्डू राजभर पुत्र स्व० गिरधारी राजभर | चकमकपुर जखनियां, सिखड़ी जिला गाजीपुर। | सदस्य | समाजसेवी |
| 6. | संतोष कुमार सिंह पुत्र रविन्द्र नाथ सिंह | सिन्धौरा रोड सत्यबलपुर वाराणसी | सदस्य | समाजसेवी |
| 7. | मु० सैफ इकबाल पुत्र मु० इकबाल | लोदीपुर जमानियां कस्बा गाजीपुर। | सदस्य | समाजसेवी |

## प्रारम्भिक उपलब्धता

**1.** यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं प्रबन्ध समिति उचित समझे तो सदस्य बढ़ा सकते हैं। ट्रस्ट के मूल पदाधिकारियो को विना उसकी अनुमति के उसको किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता।

**2.** यह कि ट्रस्ट प्रबन्धन कमेटी किसी भी ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को किसी भी समय हटा सकता है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी के कोई भी पदाधिकारी ट्रस्ट के हित में कभी भी बैठक बुला सकता है।
4. यह कि ट्रस्ट द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति के सभी पदाधिकारियों की सहमति अनिवार्य होगी।

ट्रस्ट द्वारा 12A, 80G, PCRA का पंजीकरण कराकर उद्देश्यो की पूर्ति कर सकता है।

## मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था एवं सुविधाए –

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के कार्य हेतु देश, विदेश जाने हेतु यात्रा भत्ता एंव कार्यक्रम के सम्पूर्ण खर्च की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा किया जायेगा।
2. यह कि ट्रस्ट के हित में भारत के किसी भी राज्य में कार्यालय एवं वहाँ से संचालित करने वाले कर्मचारीयों का सम्पूर्ण खर्च ट्रस्ट वहन करेगा।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा किसी भी सेमिनार या गोष्ठी में जाने वाले व्यक्तियों का आने–जाने रहने खाने व्यवस्था का खर्च ट्रस्ट वहन करेगा।
4. यह कि ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी के सभी पदाधिकारीयों को ट्रस्ट के हित में चलने हेतु वाहन की व्यवस्था ट्रस्ट करेगा।
5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी के सभी पदाधिकारियों की हर महिने की बैठक में आने जाने का खर्च एवं मासिक वेतन ट्रस्ट के आय के अनुसार, ट्रस्ट देगी।

## कार्य क्षेत्र–

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के हित में एव जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु विश्व के किसी भी देश में नियमानुसार कार्य कर सकते हैं।

## मैनेजिंग ट्रस्टी की नियुक्ति–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी के सहपदाधिकारियों की न्यूक्ति प्रबन्ध कमेटी के सभी पदाधिकारियों की सहमति से की जायेगी।
2. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्थान में अधिकारी, कर्मचारी की न्यूक्ति, पद्मोन्ति एव बर्खास्तगी का निर्णय ट्रस्ट के मैनेजिंग कमेटी के सभी पदाधिकारीयों की सहमति एवं संस्तुति अनिवार्य होगी।
3. यह कि मैनेजिंग के मुख्य ट्रस्टी के मुख्य पदाधिकारियों की पद रिक्त होने की दशा में उनके उत्तराधिकारी ही उनके पद पर नियुक्त होंगे।

## अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

1. अध्यक्ष ट्रस्ट एवं उससे संचालित होने सभी वाली बैठको की अध्यक्षता करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाली संस्थाओं की निगरानी करने का अधिकार होगा।
3. ट्रस्ट प्रबन्ध कमेटी की बैठक में सभी पदाधिकारियों की सहमति से लिया गया निर्णय का अनुमोदन करेगा।

4. ट्रस्ट द्वारा कार्यवाही रजिस्टर, बही खाता एवं आवश्यक सभी कागजातो पर प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

## प्रबन्धक के अधिकार

1. यह कि ट्रस्ट के हित में सरकार द्वारा सभी योजनाओं का जानकारी लेना एव अधिकारियों से सम्पर्क करना ।
2. यह कि ट्रस्ट के हित में जो भी कार्य संपादित करने होगें उसके मूथ पूरे प्रबन्धन की जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी।
3. यह कि प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के सभी कार्यों में सहभागिता होगी ।
4. यह कि मैनेजिंग कमेटी द्वारा लिया गया किसी भी निर्णय में प्रबन्धक का हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
5. यह कि ट्रस्ट के किसी भी दस्तावेज को भी प्रमाणित करने का अधिकार।
6. यह कि ट्रस्ट के हित में।

## महासचिव का अधिकार एवं कर्तव्य

1. यह कि ट्रस्ट के सभी बैठको को आहुत करने की जिम्मेदारी महासचिव की होगी।
2. यह कि ट्रस्ट के सभी कागजात के रखरखाव की जिम्मेदारी महासचिव की होगी।
3. यह कि ट्रस्ट के सभी लेखा जोखा एव वार्षिक रिर्पोट तैयार कस कर कराना।

## कोषाध्यक्ष का अधिकार एवं कर्तव्य

1. यह कि ट्रस्ट के वित्तिय लेखा जोखा की आडिट करना।
2. व्यक्ति या संस्थानों द्वारा चंदा या कर्ज के रूप में नगद मिलने वाली धनराशि को ट्रस्ट के खाते में जमा कराना।
3. यह कि प्रबन्ध समिति के सभी स्टाक रजिस्टर, कैश बुक, चंदा रसीद, एवं वित्त से सम्बन्धित सभी रजिस्टरो को प्रमाणित करने का अधिकार कोषाध्यक्ष का होगा।

## वित्तीय अधिकार

1. ट्रस्ट द्वारा किसी भी बैंक या पोस्ट–आपिस में खाता खोला जा सकता है।
2. ट्रस्ट के खाते का संचालन ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धन कमेटी के सभी पदाधिकारियों की सहमति से इन्हीं में से किसी दो के संयुक्त हत्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।
3. ट्रस्ट का खाता भारत के किसी भी बैंक एवं शाखा में खोला जा सकता है।
4. ट्रस्ट के अन्तर्गत अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, हास्पिटल, संस्थान, केन्द्र, कार्यक्रम इकाई, कार्यालय का पृथक नाम से खाता खोलकर संचालित किया जा सकता है। जिसमें ट्रस्ट के प्रबन्धन कमेटी के सहमती से किसी एक पदाधिकारी एवं संस्था के अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा सकता है।

## विधिक कार्यवाही

1. यदि ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या ट्रस्ट के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मैनेजिंक कमेटी की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किया जायेगा एवं विभिन्न न्यायालय में पैरवी या पैरवी करने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है।

**सम्पत्ति सम्बन्धित**

2. ट्रस्ट का मैनेजिंग कमेटी द्वारा चल, अचल सम्पत्ति खरीदने हेतु मैनेजिंग कमेटी की सहमति से किसी पदाधिकारी को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट द्वारा क्रय की गई कोई भी सम्पत्ति को बेचने व खरीदने के लिए मैनेजिंग कमेटी की आप सहमती से किसी भी पदाधिकारी को अधिकृत किया जा सकता है।
4. ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति चल या अचल ट्रस्ट के नाम से ली जाएगी। जिसकी देख–रेख प्रबन्ध कमेटी करेगी।
5. ट्रस्ट की प्रबन्ध कमेटी ट्रस्ट के चल–अचल भूमि भवन को भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ती बंधक गिरवी आदि ले व दे सकती है।

**विशेष**

1. ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट की प्रबन्ध कमेटी की आपसी सहमती से कोई भी नियम, उपनियम बना सकती है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित, कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय,, हास्पिटल कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपकरण के कार्यालय कार्य संचालन हेतु पृथक नियम बना सकती है।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई नियम या कार्य को करने के लिए ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की सहमति अनिवार्य होगी।

**साक्षीगण :–**

**1.**
नाम–
पुत्र–
पता–
पेशा–
मो0नं0–
हस्ताक्षर–

**2.**
नाम–
पुत्र–
पता–
पेशा–
मो0नं0–
हस्ताक्षर–

**तहरीर तारीख :–** **10.10.2025**

मसविदाकर्ता :–

अश्विनी कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
कलेक्ट्रेट परिसर, कचहरी, वाराणसी।
मो0नं0– 9580463195

टाईपकर्ता :–

राजू कम्प्यूटर
कलेक्ट्रेट परिसर, कचहरी, वाराणसी।